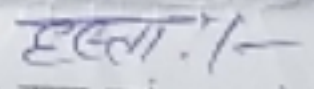


कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

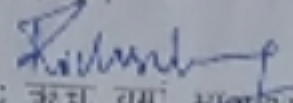
Regional Manager Himachal Road Transport Corporation Rampur Bsr. से प्राप्त पत्र संख्या HRTC/RMP/3-[Land & Build]/2019- 7961 दिनांक 17/12/2019 के सन्बन्ध में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21/08/2018 सहित for the construction of new bus stand, Lohri within the jurisdiction of Divisional Forest Officer, Anni Forest Division at Lohri District Kulhu (HP) हेतु प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि रकबा तादादी 00-40-50 हेक्टेयर के हस्तान्तरण बारे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि न्यूनतम एवम् अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि रकबा तादादी 00-40-50 हेक्टेयर Regional Manager Himachal Road Transport Corporation Rampur Bsr. District Shimla (HP), को उपरोक्त प्रयोजन हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(डॉ० केशव वर्मा, भा० प्र० से०)
उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या 174-76 / डी० आर० ए० सी दिनांक 31/01/2020
प्रतिलिपि रोखा में—

1. वन मण्डल अधिकारी, आन्नी स्थित लूहरी जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को पर्यावरण एवम् वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. उप मण्डल अधिकारी (ना०), आन्नी जिला कुल्लू को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. Regional Manager Himachal Road Transport Corporation Rampur Bsr. District Shimla (HP), को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।


(डॉ० केशव वर्मा, भा० प्र० से०)
उपायुक्त कुल्लू।